न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 93/2019 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
शाखा– 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) –305001

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री छोटूलाल (ऋणी / बंधककर्ता)
   पताः– (अ) रे–636/1431, बापू नगर, कोटा (राज.) –324008
   (ब) सर्वे नं. 636 एण्ड रे–1431, बापू नगर (कुन्हाडी), कच्ची बस्ती, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.)–324007
2. श्रीमति रामधनी बाई पत्नि श्री नन्दकिशोर
   रे–636/1431, बापू नगर, कोटा (राज.) –34008 – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा– 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) –305001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.08.2014 का होम लोन बाबत रूपये 6,00,000/– (अक्षरेः रूपये छः लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री छोटूलाल एवं श्रीमति रामधनी बाई पत्नि श्री नन्दकिशोर की सर्वे नं. 636 एण्ड रे–1431, बापू नगर (कुन्हाडी, कच्ची बस्ती, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 109.75 वर्गगज) जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/ नियमन–आवंटन/2014/1151 दिनांक 22.02.2014 से जारीसुदा है जिसका पंजीयन, उप पंजीयक कोटा जिला कोटा द्वारा दिनांक 01.03.2014 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– श्री जगदीश की सम्पत्ति, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में – अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में– अन्य सम्पत्ति** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 15.08.2016 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 6,14,898/– (अंक्षरे रूपये छः लाख, चौदह हजार, आठ सौ, अठ्यानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.08.2016 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री छोटूलाल एवं श्रीमति रामधनी बाई पत्नि श्री नन्दकिशोर की सर्वे नं. 636 एण्ड रे–1431, बापू नगर (कुन्हाडी, कच्ची बस्ती, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 109.75 वर्गगज) जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/ नियमन–आवंटन/2014/1151 दिनांक 22.02.2014 से जारींसुदा है जिसका पंजीयन, उप पंजीयक कोटा जिला कोटा द्वारा दिनांक 01.03.2014 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– श्री जगदीश की सम्पत्ति, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में – अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में– अन्य सम्पत्ति** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner